उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु निर्धारित पदोन्नति नीति।

उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 लखनऊ द्वारा दिनांक 26.05.1995 को प्रख्यापित की गयी पदोन्नति नीति 1995 उत्तराखण्ड राज्य में भी यथावत लागू की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्बन्ध में पूर्व में प्रचलित नीति को अवक्रमित करते हुए पदोन्नति नीति 2013 प्रख्यापित की जा रही है। जो तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी –

1– वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अन्तिम प्राप्त वेतनवृद्धि के बराबर एक वेतन वृद्धि देय होगी परन्तु इनकी संख्या 03 से अधिक नही होगी।

2– विभिन्न पदों पर प्रोन्नति/समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य होगी। इस हेतु विभिन्न पदों पर न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गयी है तथा यह वेतनमान सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु अनुमोदित वेतनमानों में उपलब्ध अगला उच्च वेतनमान देय होगा।

3– उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु किसी भी पद पर न्यूनतम कार्य अवधि का निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। पदोन्नति उच्चतर पद के उपलब्ध होने की स्थिति में अर्ह एवं पात्र अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी।

4– पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन भी किया जायेगा।

5– उपरोक्त नीति के अनुपालन में वर्तमान अधिकारियों की कुल संख्या में कोई वृद्धि प्रस्तावित नही की गयी है।

6– किसी भी रिक्त पद को आवश्यकतानुसार संघ की सेवानियमावली के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति (On Deputation) के आधार पर भरे जाने में कोई आपत्ति नही होगी।

7– उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सेवा नियमों/शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली नीतियों/मानकों का अनुपालन किया जायेगा एवं शासन की सामान्य गाईडलाईन के अनुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा।

8– प्रोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की समयमान/प्रोन्नति वेतनमान देय होने की तिथि से पूर्व 05 वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को देखा जायेगा। जिस कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान हो अनुशासनिक कार्यवाही के निर्णय तक समयमान/प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार नही किया जायेगा तथा जाँच में निर्दोष पाये जाने पर पूर्ववर्ती देय तिथि से प्रोन्नत/समयमान वेतनमान अनुमन्य होगा। समयमान/प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति के सम्मुख प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नही होगी इसकी स्वीकृति प्रशासक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ लि0, (उत्तराखण्ड शुगर्स) द्वारा 05 वर्ष का गोपनीय प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किये जाने पर की जा सकेगी।

9– पदोन्नति नीति में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में कम से कम दो प्रोन्नतियाँ अवश्य प्राप्त हो सकेंगी। प्रोन्नति न मिल पाने की दशा में दो उच्च वेतनमान समयमान वेतनमान के रूप में अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

10– पदोन्नति नीति में कतिपय निः संवर्गीय पद यथा श्रम कल्याण अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, आदि पदों में भी सम्बन्धित कार्मिक को सम्पूर्ण सेवाकाल में दो उच्च वेतनमान समयमान वेतनमान के रूप में अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

11– पदोन्नति नीति में यह भी प्रस्तावित है कि वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मैरिट पर चयन के आधार पर (Internally performance evaluation द्वारा) एक निर्धारित कार्यावधि के पश्चात् संघ के सम्बन्धित पद के लिए निर्धारित वेतनमान में पदोन्नत किया जा सकेगा तथा तत्पश्चात् वह उच्चतर वेतनमान में उपरोक्त नीति के अनुसार पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे। विभागवार विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति ,प्रोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान की स्वीकृति हेतु निर्धारित मानक संलग्न है।

संलग्नक–01

उत्तराखण्ड राज्य स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें।
अभियन्त्रण संवर्ग

1– अभियन्त्रण संवर्ग में अवर अभियन्ता (मैके0/विद्युत) के पद को पदोन्नति नीति 1995 के माध्यम से मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है। भविष्य में इन पदों पर नियुक्ति नही की जायेगी परन्तु वर्तमान में जो अवर अभियन्ता (मैके0/विद्युत) कार्यरत है उन्हें 05 वर्ष की सेवा के उपरान्त सहायक अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के पद पर वेतनमान ₹ 8550–14600 में पात्रता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जायेगी। डिग्री धारक मैके0/इलै0 अभियन्ताओं की प्रारम्भिक नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियन्ता (अण्डरट्रेनिंग) के पद पर की जायेगी और इस अवधि में उन्हें ₹ 8550.00 मूल वेतन देय होगा तथा इसके साथ नियमानुसार अनुमन्य मंहगाई भत्ता भी देय होगा। इन सहायक अभियन्ता (अण्डरट्रेनिंग) को न्यूनतम 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त सहायक अभियन्ता (मैके0/विद्युत) के रिक्त पदों पर वेतनमान ₹ 8550–14600 में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2– सहायक अभियन्ता (मैके0/विद्युत) के पद पर वेतनमान ₹ 8550–14600 में कम से कम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी उप मुख्य अभियन्ता वेतनमान ₹ 10000–15200 के पद पर ज्येष्टता/श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा और यदि इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो सहायक अभियन्ता (मैके0/विद्युत) के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 10000–15200 का प्रथम समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी सहायक अभियन्ता (मैके0/विद्युत) के पद से प्रोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर ₹ 12000–16500 अनुमन्य होगा।

3– उप मुख्य अभियन्ता के बाद अगला उच्च पद मुख्य अभियन्ता वेतनमान ₹ 14300–18300 का है। इस पद को उप मुख्य अभियन्ता के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा तथा पदोन्नति के लिए केवल वे ही अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उप मुख्य अभियन्ता के पद पर वेतनमान ₹ 10000–15200 में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता (मैरिट कम सिनियोरिटी) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी। यदि इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो उप मुख्य अभियन्ता के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 12000–16500 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा उप मुख्य अभियन्ता के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 14300–18300 का वेतनमान द्वितीय समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा।

4– मुख्य अभियन्ता के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी को ₹ 16400–20000 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा मुख्य अभियन्ता के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों को पात्रता के आधार पर द्वितीय समयमान वेतनमान ₹ 16400–22400 अनुमन्य होगा।

सिविल अभियन्ता संवर्ग

1– प्राथमिक स्तर पर डिप्लोमा होल्डर्स सिविल अभियन्ता को अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर, संघ के वेतनमान ₹ 5000–8000 में सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से नियुक्त किया जायेगा तथा इन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। शुगर वेजबोर्ड के अधीन जो डिप्लोमा होल्डर्स अवर अभियन्ता (सिविल) सुपरवाईजरी–ए वेतनमान में कार्यरत है, को सुपरवाईजरी–ए वेतनमान में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा के उपरान्त अवर अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 5000–8000 में ज्येष्टता/श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।

2– अवर अभियन्ता (सिविल) के बाद अगला उच्च पद सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 8550–14600 का होगा। सिविल अभियन्ताओं के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों पर डिग्री धारक सिविल अभियन्ता नियुक्त किये जायेंगे अवशेष पदों को विभागीय डिप्लोमा होल्डर्स अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। पदोन्नति के लिए केवल वही डिप्लोमा धारक अवर अभियन्ता (सिविल) पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 08 वर्ष की सेवा अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर पूर्ण कर ली हो अथवा डिग्री धारक सिविल अभियन्ता जिन्होंने कम से कम 03 वर्ष की सेवा अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता (मैरिट कम सीनियरिटी) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता डिग्री सिविल इंजीनियरिंग के साथ कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होगा। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त इन अभियन्ताओं को सर्वप्रथम 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। यदि निर्धारित सेवा अवधि में अवर अभियन्ता को पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो डिप्लोमाधारक अवर अभियन्ता (सिविल) को परिवीक्षा अवधि के अतिरिक्त 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 8550–14600 का प्रथम समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो ₹ 10000–15200 का द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा। सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान ₹ 8550–14600 में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम समयमान वेतनमान ₹ 10000–15200 पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय समयमान वेतनमान ₹ 12000–16500 पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा।

सहायक अभियन्ता (इन्स्ट्रूमेन्ट्स) संवर्ग

1– सहायक अभियन्ता (इन्स0) का पद वेतनमान ₹ 8550– 14600 का होगा इस पद को सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से नियुक्ति कर भरा जायेगा तथा इस पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता डिग्री इन्स0 इंजीनियरिंग के साथ कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होगा। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त इन अभियन्ताओं को सर्वप्रथम 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। सहायक अभियन्ता (इन्स0) के पद पर वेतनमान ₹ 8550–14600 में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम समयमान वेतनमान ₹ 10000–15200 पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय समयमान वेतनमान ₹ 12000–16500 पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा।

संलग्नक–02

उत्तराखण्ड राज्य स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें।

गन्ना संवर्ग

1– गन्ना संवर्ग में प्रारम्भिक स्तर पर नियुक्ति गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर वेतनमान ₹ 3200–4900 में की जायेगी। इस पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (कृषि) होगी। गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती/चयन के माध्यम से की जायेगी तथा चयनित कर्मचारियों को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त परिवीक्षा अवधि के अतिरिक्त 05 वर्ष की और सेवा पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी गन्ना विकास निरीक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक (प्रचार) के पद पर वेतनमान ₹ 4500–7000 में पदोन्नति हेतु पात्र होगा। यदि पदोन्नति का पद उपलब्ध नही है तो 07 वर्ष की गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त पात्रता के आधार पर ₹ 4500–7000 का प्रथम समयमान वेतनमान देय होगा एवं प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 5000–8000 का द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा।

2– गन्ना विकास निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों को गन्ना पर्यवेक्षक के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। इस पद पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (कृषि) होगी। गन्ना निरीक्षक के बाद अगला उच्च पद ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक वेतनमान ₹ 5000–8000 का होगा। इस पद को गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर वेतनमान ₹ 4500–7000 में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले गन्ना विकास निरीक्षकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। पदोन्नति का आधार ज्येष्टता–सह–श्रेष्ठता होगा। गन्ना विकास निरीक्षक के पद से 07 वर्ष की सेवा तक पदोन्नति न होने की दशा में पात्रता के आधार पर ₹ 5000–8000 का प्रथम समयमान वेतनमान देय होगा एवं प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 6500–10500 का द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा।

3– ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक वेतनमान ₹ 5000–8000 के पद को गन्ना विकास निरीक्षक वेतनमान ₹ 4500–7000 के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों में से ज्येष्टता–सह–श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। इसका अगला उच्च पद गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान ₹ 8550–14600 का होगा। ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक के पद से 07 वर्ष की सेवा तक पदोन्नति न होने की दशा में पात्रता के आधार पर ₹ 6500–10500 का प्रथम समयमान वेतनमान देय होगा एवं प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 8550–14600 का द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा।

4– गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान ₹ 8550–14600 के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त भरा जायेगा। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम0एस0सी0 (कृषि) होगी तथा 50 प्रतिशत पदों को ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक वेतनमान ₹ 5000–8000 में कार्यरत ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिन्होंने ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक के रूप में इस पद पर कम से कम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। परन्तु पात्र ज्येष्ट गन्ना निरीक्षक उपलब्ध न होने की दशा में पात्रता के क्षेत्र में उन ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षकों को भी सम्मिलित किया जायेगा जिनके द्वारा

पद पर ज्येष्टता/श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा और इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो गन्ना अधिकारी के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 10000–15200 का प्रथम समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी गन्ना अधिकारी के पद से प्रोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर ₹ 12000–16500 अनुमन्य होगा।

5– उप मुख्य गन्ना अधिकारी के बाद अगला उच्च पद मुख्य गन्ना अधिकारी वेतनमान ₹ 14300–18300 का है। इस पद को उप मुख्य गन्ना अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा तथा पदोन्नति के लिए केवल वे ही अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उप मुख्य गन्ना अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 10000–15200 में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता (मैरिट कम सीनियोरिटी) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी। यदि इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो उप मुख्य गन्ना अधिकारी के पद पर 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 12000–16500 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा उप मुख्य गन्ना अधिकारी के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 14300–18300 का वेतनमान द्वितीय समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा।

6– मुख्य गन्ना अधिकारी के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी को ₹ 16400–20000 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा मुख्य गन्ना अधिकारी के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों को पात्रता के आधार पर द्वितीय समयमान वेतनमान ₹ 16400–22400 अनुमन्य होगा।

संलग्नक–03

उत्तराखण्ड राज्य स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें।
मैन्युफैक्चरिंग संवर्ग

1– मैन्युफैक्चरिंग संवर्ग में संघ द्वारा सबसे निम्न स्तर पर प्रयोगशाला प्रभारी के पद पर नियुक्तियाँ की जाती है। प्रयोगशाला प्रभारी के पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति संघ के वेतनमान ₹ 6500–10500 में सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से की जायेगी और इसके लिए शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 ए0एन0एस0आई0(शुगर टैक्नोलॉजी) होगी। इन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा। प्रयोगशाला प्रभारी को 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त निर्माण रसायनविद् वेतनमान ₹ 8550–14600 में पदोन्नति प्रदान की जायेगी तथा 07 वर्ष की सेवा तक पदोन्नति न होने की दशा में प्रथम समयमान वेतनमान ₹ 8550–14600 पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा। प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में पात्रता के आधार पर ₹ 10000–15200 का द्वितीय समयमान वेतनमान अनुमन्य होगा।

2– प्रयोगशाला प्रभारी के बाद अगला उच्च पद निर्माण रसायनविद् वेतनमान ₹ 8550–14600 का है। इस पद को प्रयोगशाला प्रभारी से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। परन्तु प्रयोगशाला प्रभारी की पात्रता के आधार पर पदोन्नति के उपरान्त भी निर्माण रसायनविद् की रिक्तियाँ अवशेष रह जाती है तो इन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रयोगशाला प्रभारी से पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध रहने की दशा में निर्माण रसायनविद् के पद पर सीधी भर्ती नहीं की जायेगी। निर्माण रसायनविद् के पद पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 ए0एन0एस0आई0 (शुगर टैक्नोलॉजी) होगी। निर्माण रसायनविद् के पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति निर्माण रसायनविद् (प्रशिक्षु) के रूप में की जायेगी। इस अवधि में उन्हें वेतनमान ₹ 8550–14600 का प्रारम्भिक मूल वेतन ₹ 8550.00 देय होगा तथा इसके साथ नियमानुसार अनुमन्य मंहगाई भत्ता भी देय होगा। इन निर्माण रसायनविद (प्रशिक्षु) को न्यूनतम 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त निर्माण रसायनविद् के रिक्त पदों पर वेतनमान ₹ 8550–14600 में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

निर्माण रसायनविद् के पद पर 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी उप मुख्य रसायनविद् वेतनमान ₹ 10000–15200 के पद पर ज्येष्टता/श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा और इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो निर्माण रसायनविद् के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 10000–15200 का प्रथम समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी निर्माण रसायनविद् के पद से प्रोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर ₹ 12000–16500 अनुमन्य होगा।

3– उप मुख्य रसायनविद् के बाद अगला उच्च पद मुख्य रसायनविद् वेतनमान ₹ 14300–18300 का है। इस पद को उप मुख्य रसायनविद् के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा तथा पदोन्नति के लिए केवल वे ही अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उप मुख्य रसायनविद के पद पर वेतनमान ₹ 10000–15200 में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता (मैरिट कम सीनियोरिटी) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी। यदि इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो उप मुख्य रसायनविद् के पद पर 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण

करने के उपरान्त ₹ 12000–16500 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा उप मुख्य रसायनविद् के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 14300–18300 का वेतनमान द्वितीय समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा।

6– मुख्य रसायनविद् के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी को ₹ 16400–20000 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा मुख्य रसायनविद् के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों को पात्रता के आधार पर द्वितीय समयमान वेतनमान ₹ 16400–22400 अनुमन्य होगा।

उत्तराखण्ड राज्य स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें।

लेखा संवर्ग

1– लेखा संवर्ग में प्रथमतः नियुक्ति सहायक लेखाकार के पद पर शुगर वेजबोर्ड के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी। इस पद पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी0कॉम (प्रथम श्रेणी) अथवा एम0कॉम (द्वितीय श्रेणी) अथवा बी0कॉम (द्वितीय श्रेणी) के साथ कम से कम 02 वर्ष का अनुभव रखा जायेगा। इस पद पर प्रथमतः 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति की जायेगी।

2– शुगर वेजबोर्ड के अधीन नियुक्त सहायक लेखाकार के पद पर परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त कम से कम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सम्बन्धित कार्मिक लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होगा।

3– लेखाकार के पद का अगला उच्च पद लेखाधिकारी संघ वेतनमान ₹ 8550–14600 का होगा जो केन्द्रीयत सेवा का होगा। इस पद को 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत लेखाकारों में से विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। पदोन्नति का आधार श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता होगा। पदोन्नति हेतु शुगर वेजबोर्ड के अधीन वे लेखाकार पात्र होंगे जिन्होंने इस पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

लेखाधिकारी वेतनमान ₹ 8550–14600 के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की जायेगी तथा इस पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता एम0कॉम (प्रथम श्रेणी) अथवा एम0कॉम (द्वितीय श्रेणी) के साथ 03 वर्ष का अनुभव अथवा सी0ए0 (इन्टर) अथवा आई0सी0डब्लू0ए0 (इन्टर) तथा 03 वर्ष का अनुभव निर्धारित होगी। इस पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

लेखाधिकारी वेतनमान ₹ 8550–14600 के बाद अगला उच्च पद उप मुख्य लेखाकार वेतनमान ₹ 10000–15200 का होगा। इस पद को लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिनके द्वारा लेखाधिकारी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो। पदोन्नति का आधार ज्येष्टता–सह–श्रेष्ठता होगा। लेखाधिकारी के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 10000–15200 का प्रथम समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी लेखाधिकारी के पद से प्रोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर ₹ 12000–16500 अनुमन्य होगा।

3– उप मुख्य लेखाकार के बाद अगला उच्च पद मुख्य लेखाकार वेतनमान ₹ 14300–18300 का है। इस पद को उप मुख्य लेखाकार के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा तथा पदोन्नति के लिए केवल वे ही अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उप मुख्य लेखाकार के पद पर वेतनमान ₹ 10000–15200 में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता (मैरिट कम सीनियॉरिटी) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी। यदि इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त

नही होती हैं तो उप मुख्य लेखाकार के पद पर 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 12000–16500 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा उप मुख्य लेखाकार के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 14300–18300 का वेतनमान द्वितीय समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा।

4– मुख्य लेखाकार के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी को ₹ 16400--20000 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा मुख्य लेखाकार के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों को पात्रता के आधार पर द्वितीय समयमान वेतनमान ₹ 16400--22400 अनुमन्य होगा।

संलग्नक–05

उत्तराखण्ड राज्य स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें।

आसवनी संवर्ग

1– संघ की आसवनी में संघ द्वारा सबसे निम्नस्तर पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से प्रयोगशाला प्रभारी (आसवनी) वेतनमान ₹ 6500–10500 के पद पर नियुक्तियाँ की जाती है। नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0, डी0आई0एफ0ए0टी0 होगी। पूर्व में बी0एस0सी0 के साथ डी0आई0एफ0ए0टी0 योग्यता धारक प्रयोगशाला प्रभारियों को सीधे वेतनमान ₹ 8550–14600 में भी नियुक्ति प्रदान की गयी है। प्रयोगशाला प्रभारी (आसवनी) वेतनमान ₹ 6500–10500 का पदोन्नति का अगला उच्च पद आसवनी रसायनविद् वेतनमान ₹ 8550–14600 का है। आसवनी रसायनविद् वेतनमान ₹ 8550–14600 के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से भरा जायेगा। सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0, डी0आई0एफ0ए0टी0 अनिवार्य होगी। इस पद पर पदोन्नति हेतु वेतनमान ₹ 6500–10500 में कार्यरत वे प्रयोगशाला प्रभारी पात्र होंगे जिनके द्वारा इस पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो तथा जो बी0एस0सी0, डी0आई0एफ0ए0टी0 योग्यताधारक हों। 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में प्रयोगशाला प्रभारियों को ₹ 8550–14600 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 10000–15200 का द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा।

2– आसवनी रसायनविद्/प्रयोगशाला प्रभारी (आसवनी) वेतनमान ₹ 8550–14600 के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी उप मुख्य रसायनविद् (आसवनी) वेतनमान ₹ 10000–15200 के पद पर ज्येष्टता/श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा और इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो निर्माण रसायनविद्/प्रयोगशाला प्रभारी वेतनमान ₹ 8550–14600 के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 10000–15200 का प्रथम समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी निर्माण रसायनविद्/प्रयोगशाला प्रभारी वेतनमान ₹ 8550–14600 के पद से प्रोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर ₹ 12000–16500 अनुमन्य होगा।

3– उप मुख्य रसायनविद् (आसवनी) के बाद अगला उच्च पद आसवनी प्रबन्धक वेतनमान ₹ 14300–18300 का है। इस पद को उप मुख्य रसायनविद् (आसवनी) के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा तथा पदोन्नति के लिए केवल वे ही अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उप मुख्य रसायनविद् (आसवनी) के पद पर वेतनमान ₹ 10000–15200 में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता (मैरिट कम सीनियोरिटी) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी। यदि इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो उप मुख्य रसायनविद् (आसवनी) के पद पर 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 12000–16500 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा तथा उप मुख्य रसायनविद् (आसवनी) के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति न होने की दशा में ₹ 14300–18300 का वेतनमान द्वितीय समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा।

4– आसवनी प्रबन्धक के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी को ₹ 16400–20000 का वेतनमान प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा, तथा आसवनी प्रबन्धक के प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों को पात्रता के आधार पर द्वितीय समयमान वेतनमान ₹ 16400–22400 अनुमन्य होगा।

संलग्नक–06

उत्तराखण्ड राज्य स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें।

ई0डी0पी0 संवर्ग

1– वर्तमान में चीनी मिलों में स्थापित कम्प्यूटरों के संचालन हेतु सहायक ई0डी0पी0 एवं ई0डी0पी0 के पद सृजित है। सहायक ई0डी0पी0 वेतनमान ₹ 6500–10500 के पदों को सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से भरा जायेगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ 02 वर्ष का कार्य अनुभव निर्धारित है। सहायक ई0डी0पी0 वेतनमान ₹ 6500–10500 के पद पर 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त ₹ 8550–14600 का समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर ई0डी0पी0 ग्रेड–02 पदनामित करते हुए अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त ई0डी0पी0 ग्रेड–02 के समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ₹ 10000–15200 का समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा।

संलग्नक–07

उत्तराखण्ड राज्य स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें।

श्रम कल्याण अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी संवर्ग

1– श्रम कल्याण अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी के निः संवर्गीय पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है। इन पदों पर वेतनमान ₹ 8550–14600/₹ 8000–13500 में कार्यरत अधिकारियों को 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त पात्रता के आधार पर प्रथम समयमान वेतनमान के रूप में ₹ 10000–15200 का वेतनमान अनुमन्य होगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय समयमान वेतनमान ₹ 12000–16500 पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा।

उक्त पदोन्नति नीति केवल संघ के अधीन कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गयी है। शुगर वेजबोर्ड के अधीन कार्यरत कार्मिक श्रम विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों से पूर्व की भाँति यथावत् आच्छादित होंगे।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
प्रशासक